

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 05.01.2021 जनपद देवरिया

दिनांक 04.01.2021 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा० श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरुद्ध जनपद देवरिया में अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

01.आबकारी अधिनियम के अंतर्गत:-

➡थाना बघौचघाट पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त **01.सत्येन्द्र यादव पुत्र वीरेन्द्र सा० जिगना मिश्र थाना भटनी, देवरिया। 02.जितेन्द्र यादव पुत्र विशाल सा० नौका टोला थाना कटया गोपालगंज बिहार** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20-20 लीटर कुल 40 लीटर कच्ची देशी शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡थाना एकौना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.रामकिशुन चौहान पुत्र शिवनरायन सा० सरांव बुजुर्ग थाना एकौना, देवरिया।** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡थाना खामपार पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त **01.वशिष्ठ चौधरी पुत्र जयराम चौधरी सा० सुसौधी थाना मीरगंज जिला गोपालगंज बिहार 02.विन्ध्याचल पुत्र स्व० बगीचन्द सिंह सा० कुसौधी थाना मीरगंज जिला गोपालगंज बिहार** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब व 45 शीशी प्रत्येक 200 एमएल की अवैध देशी शराब बन्टी बबली शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡थाना रुद्रपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.मुकेश निषाद पुत्र रामचन्द्र सा० फतेहपुर बडका टोला थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

02.निरोधात्मक कार्यवाही:-

दिनांक 04.01.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 09 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

03.जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही:-

दिनांक 04.01.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा शांति अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 72 वाहनों से 64000 रुपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।

